महत्वपूर्ण

संख्या–1716/60–3–15–13(11)/14 टीसी–2

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3–समस्त जिला परिवीक्षाधिकारी, उ0प्र0।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 दिनांकः 09 अक्टूबर, 2015

विषयः– रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत एसिड अटैक की पीड़ित महिलाओं को राहत दिये जाने हेतु पुनरीक्षित व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली–2015 अधिसूचना संख्या–255/60–3–2015 दिनांक 06.02.2015 के द्वारा प्रख्यापित करते हुये तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त की गयी है। इस नियमावली के संलग्नक–1 में निर्दिष्ट अपराध से पीड़ित महिलाओं को कोष के अधीन आर्थिक क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है। कोष नियमावली के प्रख्यापन की तिथि अर्थात् 06.02.2015 की तिथि से पीड़िताओं को नियमावली के नियम–12 में वर्णित "क्षतिपूर्ति भुगतान की प्रक्रिया" के द्वारा जिला संचालन समिति द्वारा अनुसंशित अभिलेखों के आधार पर ऑनलाइन वेबपोर्टल के माध्यम से कोष प्रबंधन इकाई द्वारा पी0एफ0एम0एस0 पद्वति से उसके बैंक खाते में राहत धनराशि अंतरित की जाती है।

2. अधिसूचना संख्या–317/60–3–2015 दिनांक 09.03.2015 के द्वारा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (प्रथम संशोधन) नियमावली–2015 प्रख्यापित की गयी है। कोष नियमावली के प्रथम संशोधन के आधार पर एसिड अटैक के प्रकरणों में पूर्वगामी तिथि दिनांक 03.02.2013 निर्धारित की गयी थी। इस निर्धारित तिथि 03.02.2013 तथा नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व थानों में पंजीकृत एसिड अटैक के प्रकरणों में राज्य अनुश्रवण समिति के अनुमोदन/स्वीकृति से, पीड़िता को चेक के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के प्राविधान किये गये थे।

3. संशोधित व्यवस्था

(1) अधिसूचना संख्या–1687/60–3–2015 दिनांक 09.03.2015 के द्वारा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (तृतीय संशोधन) नियमावली–2015 प्रख्यापित करते हुये इसे पत्र संख्या–1687 (1)/60–3–2015 दिनांक 30.09.2015 के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। **अब यह प्राविधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (तृतीय संशोधन) नियमावली–2015 में एसिड अटैक के प्रकरणों में पीड़िताओं के पृथक–पृथक गुण–दोष के आधार पर परीक्षणोंपरान्त चिकित्सीय एवं आर्थिक सहायता दिये जाने के लिये यह नियमावली पूर्वगामी प्रभाव से प्रवृत्त होगी। इस प्रकार दिनांक 03.02.2013 से पूर्व घटित एसिड अटैक के प्रकरणों में नियमावली के तृतीय संशोधन के उपर्युक्त प्राविधानों के अधीन पीड़िता को चिकित्सीय एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।**

(2) उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (तृतीय संशोधन) नियमावली–2015 के अनुसार नियमावली के संलग्नक–1–क (स्तम्भ–5 खण्ड–2) में यह भी प्राविधान किया गया है कि एसिड अटैक के प्रकरणों में चेहरे के ऊपर 02 प्रतिशत और उससे अधिक जलने के साथ चेहरे के विकृत होने की दशा में अथवा नाक, मुख, कान, आँख या शरीर के किसी अन्य भाग के कार्य बाधित होने की दशा में अथवा शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक जलने की दशा में रू0– 5.00 लाख की आर्थिक राहत प्रदान की जायेगीं।

4. मेडिकल परीक्षण के संबंध में व्यवस्था

एसिड अटैक के पीड़ित महिलाओं के परीक्षण हेतु चिकित्सा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–864/5–1–2015 दिनांक 26.06.2015 द्वारा जनपद स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन किये जाने के निर्देश समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को दिये गये हैं। नियमावली के प्रख्यापन के दिनांक 06.02.2015 से पूर्व के प्रकरणों में यह अपेक्षित है कि प्रकरण में तत्समय की एफ0आई0आर0 तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सा विभाग द्वारा निर्गत उपरोक्तांकित शासनादेश के क्रम में गठित मेडिकल बोर्ड से पीड़िता की फंक्शनल डिसएबिलिटी से संबंधित आख्या

(फोटोग्राफ सहित, जिसमें जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा सहयोग किया जायेगा) के साथ जिला संचालन समिति के द्वारा पीड़िता को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में संस्तुति सहित आख्या ऑनलाईन कोष की वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात् जिला संचालन समिति से संस्तुत प्रकरणों पर राज्य अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियमावली के प्रख्यापन के दिनांक 06.02.2015 से पूर्व घटित एसिड अटैक के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

09/10/15

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1716 (1)/60–3–2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जिला चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
7. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय महिला कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट/कोष की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. कोष कार्यालय, चतुर्थ–तल, योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उपसचिव।